भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3205

उत्तर देने की तारीख 18.12.2025

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

†3205. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की वर्ष-वार, राज्य-वार तथा तमिलनाडु के संबंध में जिला-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन दो छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत तमिलनाडु राज्य सरकार में लाभार्थियों की जिला-वार संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ख): वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इन दो छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवंटित/जारी की गई कुल निधियां **अनुलग्नक-III** में दी गई हैं।

अनुलग्नक-I

" अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3205 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्यवार लाभार्थियों की संख्या						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
		लाभार्थी	**लाभार्थी**	**लाभार्थी**	**लाभार्थी**	**लाभार्थी**
1	अंडमान और निकोबार	296	284	260	173	281
2	आंध्र प्रदेश	26676	35364	40465	*	*
3	अरुणाचल प्रदेश	5676	4548	5178	2852	2831
4	असम	2504	4767	5688	4353	8075
5	बिहार	51076	42425	26450	8451	15139
6	छत्तीसगढ़	132421	129615	28642	44837	27171
7	दादरा नगर और हवेली और दमन दीव	2760	2167	2017	1273	1162
8	गोवा	2504	1978	2108	1670	1698
9	गुजरात	166649	157714	157553	121083	124886
10	हिमाचल प्रदेश	1846	2160	2479	2616	3260
11	जम्मू और कश्मीर	2621	5883	4689	2548	8371
12	झारखंड	87131	136830	129269	114519	129142
13	कर्नाटक	92254	85554	98705	97191	104211
14	केरल	9880	7071	9457	8331	10980
15	लद्दाख	421	1439	760	2228	2029
16	मध्य प्रदेश	378127	328961	255944	259997	212347
17	मणिपुर	2479	2365	1836	3470	3916
18	मेघालय	616	2406	1588	5590	6149
19	मिजोरम	11046	10031	10312	8911	8807
20	नागालैंड	451	307	*	*	*
21	ओडिशा	190066	135053	79252	106691	122029
22	पुदुचेरी	19	23	21	11	14
23	राजस्थान	208751	213064	73816	76272	57037
24	सिक्किम	88	296	49	62	377
25	तमिलनाडु	14822	16854	15325	15154	17273
26	तेलंगाना	7623	3066	9255	2460	*
27	त्रिपुरा	9404	17307	15017	11601	12597
28	उत्तर प्रदेश	2007	815	1579	2329	3211
29	उत्तराखंड	1212	1313	1464	902	812
30	पश्चिम बंगाल	28504	28053	23979	21789	24333
	कुल	**1439930**	**1377713**	**1003157**	**927364**	**908138**

*- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लाभार्थी संबंधी डेटा की रिपोर्ट नहीं दी गई है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्यवार लाभार्थियों की संख्या						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
		लाभार्थी	**लाभार्थी**	**लाभार्थी**	**लाभार्थी**	**लाभार्थी**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	327	491	386	193	311
2	आंध्र प्रदेश	112645	117089	129032	79780	67888
3	अरुणाचल प्रदेश	31527	43744	46330	42417	45125
4	असम	53205	71115	62140	58774	77350
5	बिहार	9068	16302	3768	1444	3428
6	छत्तीसगढ़	73550	86910	34184	40552	34022
7	दादरा नगर और हवेली और दमन दीव	3549	3352	2208	1053	1627
8	गोवा	4822	4047	4439	3274	3163
9	गुजरात	237041	260770	262538	226456	233161
10	हिमाचल प्रदेश	2410	3332	4303	4390	4937
11	जम्मू और कश्मीर	4316	8335	10430	7319	15309
12	झारखंड	92117	127258	147633	148676	65104
13	कर्नाटक	112381	133422	131968	123707	125823
14	केरल	15820	14558	14863	13731	13034
15	लद्दाख	3055	8631	8619	9413	8969
16	मध्य प्रदेश	346060	457808	391317	353486	326410
17	महाराष्ट्र	157503	130732	135915	139165	144785
18	मणिपुर	37258	47793	42572	33542	32275
19	मेघालय	16399	52598	61360	76755	73902
20	मिजोरम	33073	37448	38784	31685	28471
21	नागालैंड	36940	40588	40638	42485	41793
22	ओडिशा	175252	207678	204172	213957	230366
23	पुदुचेरी	24	23	18	11	10
24	राजस्थान	206011	188614	236628	168516	*
25	सिक्किम	3488	4233	2650	1849	2411
26	तमिलनाडु	21383	24441	23529	24482	27578
27	तेलंगाना	118347	126708	114911	131505	131032
28	त्रिपुरा	26108	35520	37380	33678	33506
29	उत्तर प्रदेश	8132	8930	9655	9676	10427
30	उत्तराखंड	3039	3837	3534	3972	3853
31	पश्चिम बंगाल	60846	78100	63208	37760	29528
	कुल	**2005696**	**2344407**	**2269112**	**2063703**	**1815598**

*- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लाभार्थी डेटा की रिपोर्ट नहीं दी गई है।

अनुलग्नक-II

"अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3205 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (जिला वार लाभार्थियों की संख्या - तमिलनाडु)						
क्र.सं.	जिला	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अरियालूर	279	256	211	207	221
2	चेंगलपट्टू	0	667	543	535	598
3	चेन्नई	41	31	122	170	202
4	कोयंबत्तूर	448	497	437	422	618
5	कुड्डालोर	349	383	395	422	479
6	धर्मपुरी	1230	1211	1136	1118	1318
7	डिंडीगुल	49	70	92	119	98
8	इरोड	300	341	312	415	477
9	कल्लाकुरिची	0	1166	1070	1160	1108
10	कांचीपुरम	761	275	237	229	253
11	कन्नियाकुमारी	116	106	150	164	171
12	करूर	5	5	8	3	9
13	कृष्णागिरी	373	446	368	382	492
14	मदुरै	120	115	148	211	177
15	माइलादुत्रयी	0	32	41	33	58
16	नागपट्टिनम	63	35	42	35	58
17	नमक्कल	1441	1546	1541	1619	1605
18	पेरम्बलुर	80	92	83	93	123
19	पुदुक्कोट्टई	9	5	4	5	9
20	रामनाथपुरम	0	4	6	4	9
21	रानीपेट	0	188	130	126	205
22	सलेम	2973	3259	2835	2733	2656
23	शिवगंगा	0	0	7	5	9
24	तेनकासी	0	0	41	55	66
25	तंजावुर	31	33	41	73	88

26	नीलगिरी	459	596	611	517	733
27	तेनी	23	32	26	26	42
28	तिरुवल्लुर	678	778	583	543	704
29	थिरुवरुर	36	35	33	29	59
30	तिरुचिरापल्ली	453	467	410	435	441
31	तिरुनेलवेली	86	71	61	86	103
32	तिरुपत्तूर	0	919	705	631	815
33	तिरुपूर	107	102	119	161	194
34	तिरुवन्नामलाई	1398	1986	1815	1519	1949
35	तूतीकोरिन	27	0	59	86	103
36	वेल्लोर	1337	245	260	210	311
37	विल्लुपुरम	1526	833	619	515	636
38	विरुधुनगर	24	27	24	58	76
	कुल	**14822**	**16854**	**15325**	**15154**	**17273**

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति योजना (जिला वार लाभार्थियों की संख्या - तमिलनाडु)						
क्र.सं.	जिला	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अरियालूर	223	345	351	247	245
2	चेंगलपट्टू	0	8	571	733	828
3	चेन्नई	485	194	268	634	878
4	कोयंबत्तूर	965	518	456	1165	1597
5	कुड्डालोर	299	533	559	541	643
6	धर्मपुरी	1729	2427	2378	1941	2098
7	डिंडीगुल	233	226	197	258	270
8	इरोड	423	326	361	582	797
9	कल्लाकुरिची	0	28	1693	1074	998
10	कांचीपुरम	831	804	231	351	416
11	कन्नियाकुमारी	222	207	172	265	335
12	करूर	77	16	33	95	112
13	कृष्णागिरी	517	335	312	546	780
14	मदुरै	260	279	255	318	368
15	माइलादुत्रयी	0	0	78	55	70
16	नागपट्टिनम	107	107	80	68	87
17	नमक्कल	3545	3072	2856	3626	4091
18	पेरम्बलुर	240	82	110	197	258
19	पुदुक्कोट्टई	43	6	54	107	84

20	रामनाथपुरम	1	4	23	25	14
21	रानीपेट	0	2	186	194	251
22	सलेम	4239	5128	4453	4302	4195
23	शिवगंगा	20	4	8	34	34
24	तेनकासी	0	0	48	54	75
25	तंजावुर	107	43	81	175	181
26	नीलगिरी	351	651	637	533	716
27	तेनी	55	36	44	56	63
28	थूथुक्कुडी	72	41	323	96	109
29	तिरुचिरापल्ली	1032	788	468	1016	1005
30	तिरुनेलवेली	143	146	412	131	155
31	तिरुपत्तूर	0	119	724	1172	1185
32	तिरुपूर	78	208	964	267	331
33	तिरुवल्लुर	507	639	462	619	730
34	तिरुवन्नामलाई	1397	2350	2412	1796	2027
35	तिरुवरुर	47	55	82	65	84
36	वेल्लोर	1655	2133	335	461	632
37	विल्लुपुरम	1402	2504	761	600	755
38	विरुधुनगर	78	77	91	83	81
कुल		**21383**	**24441**	**23529**	**24482**	**27578**

अनुलग्नक-III

"अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3205 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी की गई धनराशि						
						(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
		निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि
1	अंडमान और निकोबार	0.12	0.08	*	*	0.10
2	आंध्र प्रदेश	14.34	39.35	*	57.00	30.77
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.07	2.67	*	*
4	असम	0.17	1.02	1.07	1.88	1.00
5	बिहार	0.00	0.00	*	*	*
6	छत्तीसगढ़	35.42	0.00	*	52.50	*
7	दादरा नगर और हवेली और दमन और दीव	2.34	2.07	*	*	*
8	गोवा	0.41	0.00	1.08	0.53	0.36
9	गुजरात	21.99	36.89	54.52	62.00	9.23
10	हिमाचल प्रदेश	0.92	0.00	0.79	1.10	*
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	*	*	*
12	झारखंड	0.00	38.99	*	57.00	*
13	कर्नाटक	0.00	17.53	23.70	34.00	7.00
14	केरल	1.17	3.47	*	4.36	1.00
15	लद्दाख	0.42	0.74	*	*	0.40
16	मध्य प्रदेश	54.29	114.58	127.44	*	53.05
17	मणिपुर	0.00	0.00	*	*	*
18	मेघालय	0.00	0.00	1.15	*	0.70
19	मिजोरम	1.68	6.57	*	3.07	*
20	नागालैंड	0.61	0.00	*	*	*
21	ओडिशा	69.45	52.37	93.97	*	29.50
22	पुदुचेरी	0.02	0.00	*	*	*
23	राजस्थान	31.27	62.34	35.31	*	22.36
24	सिक्किम	0.09	0.00	0.18	*	*
25	तमिलनाडु	2.41	5.47	4.04	3.62	0.60
26	तेलंगाना	0.00	0.00	*	1.50	0.00
27	त्रिपुरा	2.52	0.59	11.37	*	6.92
28	उत्तर प्रदेश	0.00	0.88	*	*	*
29	उत्तराखंड	1.38	0.00	*	0.15	0.70
30	पश्चिम बंगाल	7.88	9.13	*	29.89	*
	कुल	**248.90**	**394.14**	**357.29**	**308.60**	**163.69**

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष. 2024-25
		निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.13	0.10	*	*	0.10
2	आंध्र प्रदेश	60.39	89.91	133.57	114.71	120.00
3	अरुणाचल प्रदेश	57.13	123.61	96.16	80.00	100.00
4	असम	54.14	10.93	68.45	35.00	79.71
5	बिहार	7.08	*	*	*	4.43
6	छत्तीसगढ़	87.90	*	93.30	71.25	70.00
7	दादरा नगर और हवेली और दमन और दीव	34.82	*	*	4.04	4.90
8	गोवा	4.58	*	11.87	5.27	5.00
9	गुजरात	229.78	461.70	244.26	350.00	231.22
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	*	*	*	5.00
11	जम्मू और कश्मीर	8.05	*	6.84	7.46	9.95
12	झारखंड	0.00	126.55	*	53.11	200.00
13	कर्नाटक	0.00	170.81	*	225.56	125.00
14	केरल	32.85	25.16	*	46.89	29.00
15	लद्दाख	7.38	22.14	18.91	5.96	35.00
16	मध्य प्रदेश	123.44	245.29	270.49	350.00	250.00
17	महाराष्ट्र	181.50	192.15	90.27	570.36	117.81
18	मणिपुर	21.84	42.92	41.38	30.00	25.00
19	मेघालय	0.00	26.36	146.20	85.00	145.08
20	मिजोरम	34.47	38.75	25.90	25.00	24.00
21	नागालैंड	32.26	44.36	36.08	35.00	62.00
22	ओडिशा	190.96	218.43	171.33	135.64	294.00
23	पुदुचेरी	0.20	*	*	*	*
24	राजस्थान	255.57	137.45	188.10	220.00	350.00
25	सिक्किम	5.54	10.36	9.25	*	6.00
26	तमिलनाडु	33.29	48.49	28.54	20.00	25.00
27	तेलंगाना	272.98	75.04	238.51	112.50	152.50
28	त्रिपुरा	48.05	71.89	45.22	40.00	74.94
29	उत्तर प्रदेश	22.19	*	*	10.00	15.00
30	उत्तराखंड	0.00	35.68	*	1.88	2.70
31	पश्चिम बंगाल	22.56	38.72	*	34.06	35.00
	कुल	**1829.08**	**2256.80**	**1964.63**	**2668.69**	**2598.34**

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पिछले निर्मुक्तियों से अप्रयुक्त निधियों की उपलब्धता के कारण निधि जारी नहीं की गई। इसके अलावा कुछ मामलों में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यूसी, एसओई, औपचारिक प्रस्ताव आदि न जमा करने के कारण भी निधि जारी नहीं की गई।
